...य उपखण्ड कठूमर जिला अलवर

2/246/2022 तारीख रजू........

........कमलेश बनाम .... कैला वगैरा

...क्रम	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
...8.2022	वकील प्रार्थी उपस्थित। यह प्रार्थना पत्र 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम वकील प्रार्थी ने मूल वाद के साथ पेश किया। प्रार्थना पत्र की ताईद मे वकील सायला ने शपथ पत्र ,नकल जमाबंदी हाल पेश की व अप्रार्थीगण को पाबंद कराने का निवेदन किया वकील सायल को एक पक्षीय सुना गया व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। प्रथम दृष्टया केस व सुविधा का संतुलन एवं ना पूर्ति होने वाली क्षति सायल के,पक्ष में बखूबी सावित है। अतः अप्रार्थीण को जरिये अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी पेशी/तारीख तक पाबंद किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 2746, 2358, 2745, वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर के विवादीत आराजीयात में प्रार्थी के हिस्से तक रिकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखें। चूंकि एक्स पार्टी स्थगन जारी किया जा रहा है ऐसे में अप्रार्थी में सें किसी के उपस्थित होकर वहस के लिऐ कहने पर वकील प्रार्थीगण को अनिवार्यत बहस करनी होगी, अन्यथा एक्सपार्टी स्थगन स्वतः निरस्त समक्षा जावें। अप्रार्थीण को नोटिस हो कि उक्त आदेश बाबत् कोई उज्र हो तो दिनांक 30.09.2022 को पेश करें कि क्यों ना उक्त आदेश को दावा के निर्णय तक स्थाई कर दिया जावे। अप्रार्थी जरिये नोटिस रजि0 डाक से तलब होकर पत्रावली दिनांक 30.09.2022 को वास्ते तलबी अप्रार्थी पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	
30/9/22	....आदेश दिनांक 25/8/... की पालना में पत्र... की आसे....... दिनांक ...../11/22 .... को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)	

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:22 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
31/7/23	पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। पत्रावली पर मूल वाद डिक्री हो गया है अतः TI चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है पत्रावली फैसल शुमार होकर मूल वाद के साथ शामिल रहेगी। [illegible]	

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

राजस्व वाद संख्या 01/263/2023

वउनवान

1. कमलेश पुत्र श्रीचन्द जाति जाटव नाबालिग जरिये सपरस्त माता तिजूरी पत्नी श्रीचन्द जाति जाटव
2. तिजूरी पत्नी श्रीचन्द जाति जाटव निवासी सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर

वादीगण

बनाम

1. कैला पुत्री सोहनलाल पत्नी राजाराम जाति जाटव निवासी सोंखरी हालवासी ग्राम पेरसल तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. सिवानी पुत्री माता संतोष नमासी सोहनलाल नाबालिग
3. मनीकांत पुत्र माता संतोष नमासा सोहनलाल नाबालिग
4. रवि पुत्र माता संतोष नमासा सोहनलाल नाबालिग नाबालिगान जरिये सपरस्त पिता समयसिह जाति जाटव निवासी पैरसल तहसील नदबई जिला भरतपुर

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

उपस्थित

श्री धर्मसिंह मीना एडवोकेट– अधिवक्ता वादीगण

निर्णय दिनांक 31/7/23

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 2746 रकवा 0.24 हे. 2358 रकवा 1.02 हे. 2745 रकवा 0.25 हे. ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर में स्थित है। उक्त विवादित आराजी सोहनलाल पुत्र खच्चे की कब्जे काश्त खातेदारी की दर्ज रेकार्ड आराजी है। वर्तमान में विवादित आराजी मृतक सोहनलाल की खातेदारी में दर्ज है। प्रतिवादनी संख्या 1 मृतक

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

सोहनलाल की पुत्री है तथा प्रतिवादी सं0 2 ला0 4 मृतक सोहनलाल के नमासा नमासी तथा मृतक पुत्री संतोष की पुत्री पुत्र है। सोहनलाल ने अपनी पुत्री कैला व संतोष की काफी दिन पहले शादी कर दी थी उनके हिस्सा की चल अचल सम्पत्ति शादी के समय दान दहेज में नकदी व जेवर के रूप में दे दी थी शादी के वाद से ही दोनों पुत्री अपनी अपनी ससुराल ग्राम पेरसल में रहती चली आ रही है एक पुत्री संतोष थी जिसका स्वर्गवास हो चुका है। प्रतिवादी संख्या 2 ला0 4 मृतक संतोष के वारिसान है। सोहनलाल की उम्र काफी हो चुकी थी उनकी सेवा चाकरी देखभाल वादीगण ही करते थे उसी सेवा चाकरी दबाई रोटी पानी आदि की करने वाला घर पर कोई नहीं था। इस वजह से सोहनलाल वादीगण के पास रहने लग गया। वादीगण ही मृतक सोहनलाल की देखभाल साल संभाल व समय समय पर दबाई रोटी पानी की व्यवस्था करते थे। वादीगण की सेवा चाकरी से प्रसन्न होकर सोहनलाल ने वादीगण को अपने जीवनकाल में अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर लिया तथा विवादित आराजी वावत वादीगण के दादा व ससुर सोहनलाल के मरने वाद किसी तरह का वाद विवाद न हो इस वजह से सोहनलाल ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 06.01.2020 को गांव के लोगों नातेदार रिश्तेदारों के समक्ष 500 रूपया के एक स्टाम्प व एक पाइप पेपर पर अपनी चल अचल सम्पत्ति व कृषि भूमि की वसीयत लिख दी व गवाहान की मौजूदगी में अपने अंगूठा निशानी वसीयतनामा पर लगा दिये था वसीयतनामा पर गवाह सुन्दरसिंह गुर्जर निवासी गुर्जर का नगला तन सौंखरी ने बतौर गवाह हस्ताक्षर कर दिये। मृतक सोहनलाल ने वसीयतनामा पर लिख दिया कि जव तक मै जीवित रहूँगा उक्त आराजी का में मालिक रहूँगा व काविज रहकर काश्त करूँगा उपयोग एंव उपभोग करूँगा। मेरे मरने के वाद उक्त आराजी के मालिक मेरा पोत्र कमलेश पुत्र स्व0 श्री श्रीचन्द व पुत्र बधू तिजूरी पत्नी श्रीचन्द ही होगे। अन्य किसी को कोई हक व अधिकार नही होगे। यही उसकी अंतिम ईच्छा व अंतिम वसीयत थी। सोहनलाल का स्वर्गवास हो चुका है। सोहनलाल के मरने के वाद विवादित आराजी [illegible] प्राप्त हुई है। वादीगण विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त कर रहे है। विवादित आराजी राजस्व रेकार्ड में वादीगण के दादा सोहनलाल की खातेदारी में दर्ज [illegible] आ रही है। प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है लेकिन प्रतिवादीगण विवादित

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज0

आराजी पर वादीगण के कब्जे काश्त में बाधा पैदा करते है तथा मृतक सोहनलाल की आराजी का इन्तकाल अपने नाम स्वीकार कराना चाहते है। अतः वादीगण ने विवादित आराजी को वसीयतनामा के आधार पर अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने व प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व दावा वादीगण मुताविक अनुतोष डिकी किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलवी के सम्मन जरिये रजिस्टर्ड डाक भिजवाये गये। प्रतिवादीगण वावजूद रजिस्टर्ड डाक तामील उपस्थित नहीं आये जिनके विरूद्व दिनांक 11.11.2022 को एकपक्षिय कार्यवाही अमल में लाई गयी।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में जमाबन्दी सवत् 2071 से 2074 व मूल प्रदर्श–1 वसीयतनामा दिनांक 06.01.2022 प्रदर्श–2 जमाबन्दी सवत् 2071 से 2074 व प्रदर्श– 3 सोहनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र पेश किये है जो पत्रावली के साथ संलग्न है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादिया तिजूरी पी डब्ल्यू 1, गवाह धर्मसिंह पी डब्ल्यू 2 व गवाह सुन्दरसिंह पी डब्ल्यू 3 के वयान लेखवद्व कराये है।

हमने विद्वान अधिवक्ता वादीगण की एकपक्षिय वहस सुनी तथा पत्रावली में उपलब्ध राजस्व रेकार्ड का अवलोकन किया। जमाबन्दी में विवादित आराजी सोहनलाल पुत्र खच्चे जाटव की खातेदारी में मुताविक हिस्सा दर्ज है। जिस सोहनलाल जाटव ने अपने जीवनकाल में उक्त आराजी की वसीयत अपने जीवनकाल में लिख दी व वादीगण को अपना उत्तराधिकारी बना लिया। मूल वसीयत दावा के साथ संलग्न है। जिससे स्पष्ट है कि सोहनलाल ने अपने जीवनकाल में ही दिनांक 06.01.2020 को वसीयत लिख दी जो सोहनलाल की अंतिम ईच्छा व वसीयत है। प्रतिवादीगण बाबजूद तामील उपस्थित नहीं आये। वादीगण ने सोहनलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र की छाया प्रति पेश की है। अतः विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा सावित है। वादीगण मुताविक वसीयतनामा विवादित आराजी को अपने नाम खातेदारी में दर्ज कराने के अधिकारी पाये जाते है। अतः दावा वादीगण सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:22 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

आदेश

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिकी किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 2746 रकवा 0.24 हे. के 18/19 हिस्से का व खसरा नम्बर 2358 रकवा 1.02 हे. 2745 रकवा 0.25 हे. सालिम वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज मृतक सोहनलाल पुत्र खच्चे की खातेदारी के इन्द्राजात कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करे। तदनुसार पर्चा डिकी जारी हो पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तार हो।

लाखनसिह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर) राज०

आज दिनांक 31/7/17 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

लाखनसिह गुर्जर
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)
कठूमर (अलवर) राज०

Signature Not Verified

Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:22 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारी श्री लाखनसिंह गुर्जर आर ए एस

वउनवान

1. कमलेश पुत्र श्रीचन्द जाति जाटव नाबालिग जरिये सपरस्त माता तिजूरी पत्नी श्रीचन्द जाति जाटव
2. तिजूरी पत्नी श्रीचन्द जाति जाटव निवासी सौंखरी तहसील कठूमर जिला अलवर

डिग्रीदारान

बनाम

1. कैला पुत्री सोहनलाल पत्नी राजाराम जाति जाटव निवासी सोंखरी हालवासी ग्राम पेरसल तहसील नदबई जिला भरतपुर
2. सिवानी पुत्री माता संतोष नमासी सोहनलाल नाबालिग
3. मनीकांत पुत्र माता संतोष नमासा सोहनलाल नाबालिग
4. रवि पुत्र माता संतोष नमासा सोहनलाल नाबालिग, नाबालिगान जरिये सपरस्त पिता समयसिह जाति जाटव निवासी पैरसल तहसील नदबई जिला भरतपुर

मदयूनान

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई दवामी

अतः दावा वादीगण घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिक्री किया जाकर वादीगण को आराजी खसरा नम्बर 2746 रकवा 0.24 हे. के 18/19 हिस्से का व खसरा नम्बर 2358 रकवा 1.02 हे. 2745 रकवा 0.25 हे. सालिम वाके ग्राम सौंखरी तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड में दर्ज मृतक सोहनलाल पुत्र खच्चे की खातेदारी के इन्द्राजात कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार कठूमर को आदेश है कि वो उक्तानुसार हाल राजस्व रेकार्ड में संशोधित इन्द्राज दर्ज करें। प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे काश्त में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें। जवरन वेदखल ना करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Sukha Ram Pindel
Date: 2024.05.16 17:44:22 IST
Reason: SelfAttested

आज दिनांक 31/7/23 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

लाखनसिंह गुर्जर

उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)